MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK

(Established under Haryana Act No. XXV of 1975)
'A' Grade University accredited by NAAC

No.ACS-III/F-46/2014/ 26213-258
Dated: 8/9/2014

To

1 All the Heads of the University Teaching Departments, M.D. University, Rohtak.
2 The Dean, Students Welfare, M.D.University, Rohtak.
3 The Dean, Colleges Development Council ,M.D.University, Rohtak.
4 The Convener, Hindi Samiti, M.D. University, Rohtak
5 All the Principals of the affiliated Colleges, M.D. University, Rohtak.

विषयः— राष्ट्रभाषा विकास हेतु ज्ञापन

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the photocopy of the letter dated 21.08.2014 received from अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा परिषद् हरियाणा, 21/1227 प्रेम नगर, हैफड रोड, रोहतक for your information and taking necessary action on the points relating to your department/office.

Yours faithfully,

M.L. Batra

Superintendent (Academic)
For Registrar

Encls: As above

Copy to:

1. The Director University Computer Centre, M.D. University, Rohtak.
   He is requested to arrange to upload this letter on the university website for information of all concerned.
2. अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा परिषद् हरियाणा, 21/1227 प्रेम नगर, हैफड रोड, रोहतक -124001

G. Sam... 8/9

Asstt./JDEO

36735 23239437
235733 23232701
236351 23230813
23237721 23232317
23236351 23232485

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

तार : यूनिग्रांटस
Grants: UNIGRANTS
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली. 110002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur shah Zafar Marg
New Delhi-110002

मि0सं0 16–1/2007(राजभाषा)

दिनांक: जनवरी, 2008

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड आठ में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 10.01.2007 के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 11011–8/07 (रा.भा.ए.) के अन्तर्गत यह सूचित किया है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का आठवां खण्ड प्रस्तुत किया है। इस खंड में निम्नलिखित कुछ सिफारिशों एवं निर्णयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाता है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत आठवें खण्ड में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित सिफारिशें खंड का भाग–4

4(ii)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ठेके के आधार पर इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद गैर–सरकारी एजेंसियों से करवायें और इस कार्य को 6 से 9 महीने की भीतर पूरा करवायें।
10.	जिन मंत्रालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन 90 प्रतिशत से कम है उन कार्यालय प्रमुखों के साथ मंत्रालय/विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से मामला उठाएं।
33.	"क" एवं "ख" क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी, कम्प्यूटर, शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाए एवं पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की जाएं।
44.	जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करें तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार किया जाए। जिस कार्यालय का वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्रवाई की जाए।
48.	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपनी सभी छोटे बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते है। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।
52.	विश्वविद्यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प अनिवार्य किया जाए।
55.	विश्वविद्यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प अनिवार्य किया जाए।
69.	अंग्रेजी के अखबार में भी हिन्दी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिन्दी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें।
70.	विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिन्दी पर खर्च किया जाए और 50 प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर किया जाए।